



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या-911 वर्ष 2014

श्रीमती लीलावती

.....अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(यो)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : एस. प्रताप सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मीनाक्षी सिंह, सहायक प्रोफेसर

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, हालांकि मामला "इस उच्च न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर लंबित सबसे पुराने मामलों" की श्रेणी में सूचीबद्ध है।
2. यह अपील बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 30703/2014 में दिनांक 25.08.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसे 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था।
3. ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीतने के कारण अपीलकर्ता की अपील में रुचि समाप्त हो गई है। अतः, इसे कार्यवाही न करने के कारण खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

फरवरी 13, 2026